यह मालो दौलतो दुनिया■■■■

डा. सैयद ज़फ़र महमूद

फ़ोर्ब्ज़ मेगज़ीन में दिए गए आंकडों के अनुसार भारत के सबसे ज़्यादा धनी लोगों के पास 16,50,000 करोड रु. (3,000 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की पूंजी है। देश मे 61 अरबपति व्यक्ति हैं और यह गिनती जापान, चीन, ब्रिटेन व फ़्रांस से ज़्यादा है। इन 61 अरबपतियों की पूंजी भारत की कुल घरेलू पैदावार (GDP) का 31 प्रतिशत है। भारतीय खोजकर्ताओं के अनुसार देश की 42 प्रतिशत दोलत जनता में उच्चतम श्रेणी वाले 10 प्रतिशत लोगों के पास है। 18 लाख परिवारों की वार्षिक आय 55 लाख रुपेय से ज़्यादा है और वे अपनी आय का 10 प्रतिशत या उससे ज़्यादा अपनी सुख सुविधा और भोग-विलास पर ख़र्च करते हैं। इसके विपरीत देश के 80 प्रतिशत नागरिकों की मासिक आय 1,200 रुपेय या उससे भी कम है। विश्व बैंक के 2013 के आंकडों के अनुसार दुनिया के कंगाल लोगों की 33 प्रतिशत संख्या भारत में पायी जाती है।

भारतीय संविधान के चौथे अनुच्छेद की धारा 39 में सरकार को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि समाज के भौतिक संसाधनों के मालिकाना अधिकारों तथा उन पर नियंत्रण का बंटवारा इस तरह किया जाए कि जनहित को बढ़ावा मिले और आर्थिक व्यवस्था के लागू होने पर देश की कुल पूंजी केवल कुछ हाथों में ही सीमित न रहे। तथा उद्योगिक एंव अन्य पैदावारी संसाधनों के उपभोग से कोई सार्वजनिक क्षति न हो। लेकिन हमारे देश की आर्थिक योजना में इस मुद्दे पर कोई ध्यान आम तौर से नहीं दिया जाता है। इसके विपरीत हर साल देश व्यापी तथा विश्व व्यापी स्तर पर बडी उधेड बुन के बाद और बडे गर्व से मीडिया में यह रिपोर्ट जारी की जाती है कि किन व्यक्तियों के पास ज़्यादा दौलत है। दुख की बात है कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मुद्दे को अपने चार्टर में शामिल नहीं किया है और न चार्टर में संशोधन के लिए कोई कोशिश की जा रही है। किन्तु हम भारतीय लोग भी आंख बन्द करके पश्चिमी जगत की इस गिरावट की नक़्क़ाली करने में लगे हुए हैं।

होना यह चाहिए कि जिस तरह लोग भृष्टाचार जैसी बुराइयों के ख़िलाफ़ सडकों पर उतर आते है और मीडिया इन मुद्दों की व्यापक कवरेज करता है उसी तरह संविधान की धाराओं के न्यायपूर्ण क्रियान्वन के लिए भी जन आन्दोलन चलाए जाएं तथा मीडिया इस तरह के मुद्दों को महत्व दे। इंकम टेक्स का क़ानून केवल सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति का ही माध्यम नहीं है बल्कि इस से

कहीं अधिक यह सामाजिक विकास की दिशा निर्धारित करने का यंत्र है। उदाहरण स्वरूप दो लाख रुपेय वार्षिक आय पर कोई टेक्स नहीं है। 2-2.5 लाख वार्षिक व्यक्तिगत आय पर 10 प्रतिशत और 5-10 लाख वार्षिक व्यक्तिगत आय पर 30 प्रतिशत टेक्स लगता है। लेकिन 10 लाख से आगे करोडों, अरबों रुपेय की सालाना व्यक्तिगत आय पर भी केवल 30 प्रतिशत ही टेक्स है। मतलब यह कि जिस आदमी की आय 11 लाख रुपेय है उसके पास टेक्स देने के बाद 8 लाख रुपेय से कुछ कम राशि बचती है और जिसकी सालाना आय एक करोङ रुपेय है उसके पास टेक्स देने के बाद 70 लाख रुपेय बचते हैं, जिसकी सालाना आय दस करोङ रुपेय है उसके पास टेक्स देने के बाद 7 करोङ रुपेय बचते हैं और जिस आदमी की आय 100 करोङ रुपेय है उसके पास टेक्स देने के बाद 70 करोङ रुपेय बचते हैं। यह असमानता संविधान के चौथे अनुच्छेद का खुला उल्लंघन है, जिसमें सरकार को निर्देश दिया गया है कि देश की सम्पत्ति की जन भागीदारी में समानता लाने के लिए क़ानूनी कार्रवाई की जाए। वास्तव में टेक्स की दर इस पर निर्भर होनी चाहिए कि टेक्स देने के बाद आदमी के पास कितनी पूंजी बचने दी जाए ताकि उसका गुज़ारा भी अच्छी तरह से हो सके और उसके बाद उसके पास जो पूंजि बचे उसमें तथा अन्य लोगों के पास बचने वाली पूंजी में कोई ज़्यादा अन्तर न हो।

आज़ादी के बाद क़ानून बनाकर ज़मींदारी का ख़ात्मा कर दिया गया। यही ज़मींदार लोग आज़ादी से पहले स्वंय को अमीर और श्रेष्ठ कहलवाना पसन्द करते थे। एसे ही लोगों ने वास्तव में भारतीय मुसलमानों में इस्लामी शिक्षाओं के विपरीत जात-पात को बढ़ावा दिया। इन्ही लोगों की वजह से समाज में असमानता विक्सित हुई। इनमें से जो कुछ ज़्यादा धनी थे वे जागीरदार और मंसबदार कहलाते थे और इन से और ज़्यादा दौलत रखने वाले लोग अपने को नवाब, महाराजा और राजा आदि कहलवाने लगे थे फिर आज़ादी के बाद उनके वंशज स्वंय को शहज़ादा या कुंवर कहलवाने लगे। 1971 के संवैधानिक संशोधन के बाद इन शहज़ादों के राजशाही बटवे (Privy Purses) बन्द किए गए। यह सारी कार्रवाई संविधान में निर्धारित सिद्धांतों के अन्तर्गत ही हुई। इसी तरह 21 वीं सदी के जागीरदारों के मामले में भी उनकी अपार पूंजी का बखान करने, उसे श्रद्धा देने और उन लोगों की आओ-भगत व प्रसिद्धि को बढ़ाने के बजाए सरकार को उन पर अपना फ़ीता कसना होगा और उन पर टेक्स की दर बढ़ानी होगी लोकिन इसके लिए देश में एक अनुकूल वातावरण बनाने की ज़रूरत है जिसके लिए ख़ुद आम जनता को काम करना होगा।

इस्लामी शरीअत में मालदारों पर इस तरह की ज़िम्मेदारियां डालने का प्रावधान है। इस्लाम जायज़ तरह से कमाई गयी दौलत पर आदमी के अधिकार को स्वीकार करता है और इस बात में

विश्वास रखता है कि एक खुली और न्याय पूर्ण आर्थिक व्यवस्था में भी लोगों की आय और दौलत का स्तर अलग अलग हो सकता है क्योंकि अल्लाह ने भौतिक संसाधनों और व्यक्तिगत क्षमताओं में कुछ लोगों को कुछ लोगों पर बढ़त दी है। लेकिन इस्लाम मालदारों पर यह ज़िम्मेदारी डालता है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि जैविक संसाधनों को उपयोग में लाने और उनसे फ़ायदा उठाने का अवसर सभी लोगों को समान रूप से मिले और इसमें लोगों की निजी क्षमताओं या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेद-भाव न हो। इसी के साथ अल्लाह तआला ने मौज मस्ती में माल ख़र्च करने से मना किया है। बेकार कामों में या बे हिसाब माल ख़र्च न करने का आदेश कुर्आन में अनके जगहों पर आया है (जैसेः 6-141, 7-31 आदि)। धन को व्यर्थ करने से भी मना किया गया है (17-26)। सूरत 2 की आयत 219 में स्पष्ट निर्देश है कि तुम्हारे पास तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा जो कुछ हो उसे अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो। हम यदि यह समझें कि हमारी आय करोडों रुपेय है और हम केवल 2.5 प्रतिशत ज़कात देकर अल्लाह की मंशा पूरी कर देंगे तो यह समझना ग़लत होगा। इस्लाम में आय के वितरण को आर्थिक व्यवस्था का आधार बनाया गया है। यह सुनिश्चित करना शासन की ज़िम्मेदारी है, लेकिन इस्लामी शासन व्यवस्था से बाहर यह ज़िम्मेदारी मुसलमानों पर व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में सामाजिक स्तर से लागू होती है। पूंजी का परिचालन पूरे समाज में होना चाहिए न कि यह केवल धनवानों और पूंजीपतियों के बीच ही घूमती रहे। अल्लाह की मंशा के अनुसार ख़र्च करने का नतीजा आम जनता के लिए रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने के रुप में सामने आना चाहिए। हर मालदार आदमी अल्लाह की महरबानी से माल का अमानतदार और उस पर अस्थायी नियन्त्रण रखने वाला है (57-7)। इन निर्दोशों की अनदेखी करने पर अल्लाह तआला कभी कभी बन्दे से अपनी यह देन वापिस लेकर दुनिया में ही उसे सज़ा भी दे देते हैं (7-33)। एसे सभी लोगों के लिए जिन्हें अल्लाह ने दूसरों से कुछ अधिक माल दिया है यह ज़रूरी है कि उनके साधन और सम्पत्तियां सार्वजनिक हित के लिए उपयोग किये जाएं। इस्लाम में सार्वजनिक हित को निजी स्वामित्व पर महत्व दिया गया है। जब तक हमारा यह देश और इसके सब लोग इस बात को समझने की स्थिति में आएं और उनमें पूर्ण जागरूकता पैदा हो तब तक हम मुसलमान अपने तौर पर इन दिशा निर्देशों का पालन करके देशवासियों को रास्ता दिखाने का काम तो कर ही सकते हैं और यह संदेश दे सकते हैं कि:

यह माल-ओ दौलत-ओ दुनिया, यह रिश्ता-ए-पैवन्द
बुतान-ए वहम-ओ गुमाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह ।

[यह दुनिया का धन-दौलत और यह आपसी सम्बंध व रिश्ते-नाते यदि हमें न्याय और सत्य से रोकते हैं तो यह हमारी कल्पना व भ्रम के झूटे बुत हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं हैं इस लिए अल्लाह के आदेश और मंशा को पूरा करने के लिए हमें इन काल्पनिक बुतों (यनि दुनिया का धन-दौलत और यह आपसी सम्बंध व रिश्ते-नाते यदि जो हमें न्याय और सत्य से रोकते हैं) का बखान करने, उसे श्रद्धा देने के बजाए अल्लाह के आदेश और मंशा को पूरा करना चाहिए।]